जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

क्रमांक :- प-2(92-94)/जविप्रा/समन्वय/2004/2000

दिनांक:- 18-12-04

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 94वीं बैठक दिनांक 15.12.2004 का कार्यवाही विवरण।
बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
01.	94.1 पृ. 1 से 12	कार्यकारी समिति की 93वीं बैठक दिनांक 29.06.2004 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 93वीं बैठक दिनांक 29.06.2004 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।		
02.	94.2 पृ. 13 से 27	कार्यकारी समिति 93वीं बैठक दिनांक 29.06.2004 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 93वीं बैठक दिनांक 29.06.2004 की क्रियान्विति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए निम्न दो बिन्दुओं के अलावा शेष बिन्दुओं की क्रियान्विति को पूर्ण एवं संतोषजनक पाया :- 1. एजेण्डा आईटम संख्या 93.6, जो कि अतिरिक्त आयुक्त का एक पद सृजित किए जाने से सम्बन्धित था, में यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त आयुक्त के स्वीकृत किये गये तीसरे पद की राज्य सरकार से भी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे। 2. एजेण्डा आईटम संख्या 93.22, जो कि श्री संजय माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पश्चात एक वर्ष अर्थात 31.07.2005 तक बढ़ाए जाने से सम्बन्धित था, में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार 4 वर्ष पश्चात 5वें वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की अनुमति से ही की जा सकती है, अत: इस प्रकरण में भी श्री माथुर की 5वें वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान		

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
			सरकार को प्रेषित किया जावे।		
03.	94.3 पृ. 28 से 30	जयपुर विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशनर्स चिकित्सा योजना लागू करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को रूपये 500/- प्रतिवर्ष प्रति पेंशनर चिकित्सा राशि के रूप में दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
04.	94.4 पृ. 31 से 36	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियों को वर्ष 2003-2004 के लिए बोनस/एक्सग्रेसिया, गिफ्ट के सम्बन्ध में जारी आज्ञा दिनांक 15.10.2004 की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियों को वर्ष 2003-2004 के लिए बोनस/एक्सग्रेसिया, गिफ्ट के सम्बन्ध में जारी आज्ञा कमांक प-4(10)जविप्रा/संस्था/83 दिनांक 15.10. 2004 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
05.	94.5 पृ. 37	जयपुर विकास प्राधिकरण में दो नये वाहन एम्बेसेडर कार कय करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण में दो नये एम्बेसेडर कार कय करने बाबत व्यय की गई राशि रूपए 9,32,722.56 तथा कय आदेश कमांक प. 2( )जविप्रा/वाहन/04/डी-669-670 दिनांक 09.08. 2004 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
06.	94.6 पृ. 38 से 40	श्रीमती पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस., उपायुक्त, जविप्रा द्वारा पुत्र का इलाज उनियारा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर में कराए जाने के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात श्रीमती पुष्पा सत्यानी, आर.ए. एस., उपायुक्त, जविप्रा द्वारा पुत्र का इलाज विशेष परिस्थितियों में उनियारा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर में कराए जाने के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
07.	94.7 पृ. 41 से 42	श्री लालचन्द, भू-मापक की चार वर्ष पश्चात प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण प्रतिनियुक्ति अवधि में 4 वर्ष पश्चात 5वें वर्ष के लिए एक वर्ष की और अभिवृद्धि किए जाने से सम्बन्धित है एवं चौथे वर्ष के पश्चात एक वर्ष की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है, अत: श्री लालचंद	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
			शर्मा, भू-मापक की प्रतिनयुक्ति अवधि चौथे वर्ष के पश्चात एक वर्ष की अभिवृद्धि के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया जावे।		
08.	94.8 पृ. 43 से 44	प्राधिकरण सेवा/प्रतिनियुक्ति सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के भुगतान के बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण सेवा/प्रतिनियुक्ति सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान सम्बन्धी जारी आज्ञा क्रमांक प.4(9)जविप्रा/संस्था/83 दिनांक 30.10. 2004 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
09.	94.9 पृ. 45	भूखण्ड संख्या एस-6, गिरधारीपुरा की विलम्ब से जमा राशि स्वीकार करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या एस-6, गिरधारीपुरा की देरी से जमा करवाई गई नजराना राशि को नियमित कर दिया जावे परन्तु नियमित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवंटी द्वारा ब्याज तथा पैनल्टी की राशि जमा करवा दी गई है।	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	
10.	94.10 पृ. 46	भूखण्ड संख्या ए-221, गिरधारीपुरा की विलम्ब से जमा राशि स्वीकार करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या ए-221, गिरधारीपुरा की देरी से जमा करवाई गई नजराना राशि को नियमित कर दिया जावे परन्तु नियमित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवंटी द्वारा ब्याज तथा पैनल्टी की राशि जमा करवा दी गई है।	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	
11.	94.11 पृ. 47 से 48	राजस्व ग्राम नाहरगढ़ के खसरा नम्बर 124, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 135 कुल क्षेत्रफल 8 बीघा 15 बिस्वा का भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।	उक्त एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि अब मौके पर निर्माण हो चुके हैं तथा इनमें लोग निवास भी कर रहे है, अतः अब कोई विकल्प नहीं होने के कारण प्रस्तावित भू-उपयोग उपांतरण स्वीकृत कर दिया जावे।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
12.	94.12 पृ. 49	राजस्व ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 405, 406, 407, 399, 400, 401, 403, 404, 411, 402 किता 10 की 18,300 वर्गमीटर तथा ग्राम जीरोता के खसरा नम्बर 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 किता 13 की 32,800 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 2, 3, 4, 5 हि. 1/4 की 550 वर्गमीटर, इस प्रकार कुल 51,650 वर्गमीटर जो अनुप सिंह पुत्र रणवीर सिंह जरिए सचिव, रेडिएण्ट एजूकेशन सोसायटी की खातेदारी में स्थित है, का भू-उपयोग उपान्तरण मिश्रित एवं ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक (सीनियर सैकण्डरी स्तर का विद्यालय, छात्रावास, डिग्री कॉलेज आडिटोरियम, हर्बल हैल्थ रिसर्च एवं शिक्षण संस्थान योग साधना केन्द्र, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के खेलकूद के मैदान, तरणताल आदि) किए जाने हेतु।	उक्त एजेण्डा नोट पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग उपांतरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। परन्तु इस प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने से पूर्व यह परीक्षण करवा लिया जावे कि उपांतरण हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बरों की भूमि RIICO की प्रस्तावित "अपरेल पार्क योजना" की अवाप्ति में तो नहीं आ रही है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इकोलोजीकल बैल्ट के स्थगन में तो नहीं आ रही है।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
13.	94.13 पृ. 50 से 51	प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम दिए जाने के लिए नीति निर्धारण बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम दिए जाने बाबत एजेण्डा नोट में दिए गए सुझावों के अनुसार चिकित्सा अग्रिम दिए जाने की नीति निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)	
14.	94.14 पृ. 52	प्राधिकरण कर्मचारियों के लिये जीवन बीमा विभाग की सामुहिक ग्रेच्युटी स्कीम के अनुमोदन बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम की सामूहिक ग्रेच्युटी स्कीम योजना को लागू करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
15.	94.15 पृ. 53	भूखण्डों के विक्रय पर लेय हस्तांतरण शुल्क बाबत।	भूखण्डों के विक्रय पर प्राधिकरण द्वारा लेय हस्तांतरण शुल्क में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि एजेण्डा नोट में प्रस्तावित शुल्क रूपए 5,000/- तथा रूपए 10,000/- अत्यधिक है। अतः प्रस्ताव को इस आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि विवरण में दिये अनुसार प्रस्तावित शुल्क रूपए 5,000/- के स्थान पर रूपए 2,000/- रखा जावे तथा रूपए 10,000/- के स्थान पर रूपए 5,000/- रखा जावे।	निदेशक (वित्त)	
16.	94.16 पृ. 54	जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि चूंकि एजेण्डा नोट में उल्लेखित सातों कर्मचारी/अधिकारी के प्रकरण प्रतिनियुक्ति अवधि में 4 वर्ष पश्चात 5वें वर्ष के लिए एक वर्ष की और अभिवृद्धि किए जाने से सम्बन्धित है एवं चौथे वर्ष के पश्चात एक वर्ष की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है, अतः इस प्रकरण में प्रतिनयुक्ति अवधि में चौथे वर्ष के पश्चात एक वर्ष की अभिवृद्धि के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया जावे।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
17.	94.17 पृ. 55 से 62	गोविन्दपुरा सांगानेर योजना में विस्थापित परिवारों के भूखण्ड आवंटनों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि एजेण्डा के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित जिन 10 आवंटियों द्वारा नजराना राशि एक वर्ष पश्चात परन्तु 2 वर्ष से पूर्व जमा करवा दी गई है उनके आवंटन को नियमित कर दिया जावे। नियमन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि इन आवंटियों द्वारा नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी की राशि जमा करवा दी गई है।	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

16

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
18.	94.18 पृ. 63 से 72	श्रीमती कुसुम खण्डेलवाल पत्नि श्री कैलाश खण्डेलवाल एवं श्रीमती जानकी देवी पत्नि श्री अम्बादेवी प्रसाद खण्डेलवाल के स्वामित्व के जविप्रा की वैशाली नगर योजना के भूखण्ड संख्या एफ-28 क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज की भूमि का भू-उपयोग रूपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किए जाने हेतु।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुन: प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
19.	94.19 पृ. 73 से 75	मै. हेमेन्द्र बिल्ड प्रा. लि. के कृष्णापुरी गृ. नि. स. स. की योजना बिन्दायका नं. 1 के पुनर्गठित भूखण्ड 1 व 2 क्षेत्रफल 989.24 वर्गगज जो कि 200 फीट जगतपुरा बाईपास रोड पर स्थित है, का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प हेतु) किए जाने बाबत।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुन: प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
20.	94.20 पृ. 76 से 78	जविप्रा की विद्याधर नगर योजना में आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार मोदी एवं नारायण लाल के आवासीय भूखण्ड संख्या आर-4ए क्षेत्रफल 1285 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एण्ड जनरल बिजनेस) किए जाने हेतु।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

93

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
			महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत किया जावे।		
21.	94.21 पृ. 79 से 87	राजस्व ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 1311/2 में से 1566.53 वर्गमीटर (1873.73 वर्गगज) भूमि में से बस्सी की आबादी को जाने वाली मुख्य 100 फीट सड़क के प्रस्तावित मार्गाधिकार क्षेत्र से प्रभावित भूमि एवं उत्तर दिशा में प्रस्तावित 40 फीट सड़क हेतु कुल 445.70 वर्गमीटर (532.73 वर्गगज) भूमि काटने के पश्चात शेष 1120.83 वर्गमीटर(1341.00 वर्गगज) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण पब्लिक यूटिलिटी से व्यावसायिक किए जाने हेतु।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
22.	94.22 पृ. 88 से 91	मै. रेगिस्तान प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक जितेन्द्रपाल सिंह के निजि भूमि पर सृजित भूखण्ड संख्या 2, क्षेत्रफल 704 वर्गगज जो कि सी-स्कीम योजना की तिलक मार्ग सड़क पर स्थित है, में से तिलक मार्ग क्षेत्राधिकार हेतु 14.66 वर्गगज भूमि काटने के पश्चात शेष 699.34 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किए जाने हेतु।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
23.	94.23 पृ. 92	छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति की योजना रामनाथपुरी के पुनर्गठित भू.सं.	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा	वरिष्ठ नगर नियोजक	

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
	से 101	39, 40 एवं 41 कुल क्षेत्रफल 1493.78 व.ग. में से 476.32 व.ग. भूखण्ड भूमि एम.डी. 2011 जयपुर अनुसार पहले से ही (Already) व्यवसायिक भू-उपयोग होने के कारण, उक्त भूमि को छोड़ते हुए पुनर्गठित भूखण्ड की शेष 1017.46 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यवसायिक (व्यावसायिक परिसर, बहुमंजिले भवन) किए जाने हेतु।	डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत किया जावे।	(प्रोजेक्ट)	
24.	94.24 पृ. 102 से 104	राजस्व ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 111/3, 111/742/1, 111/744/2 कुल रकबा 0.20 एयर भूमि में से 1219.20 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि में से टोंक सड़क के प्रस्तावित मार्गाधिकार क्षेत्र हेतु 132.58 व.मी. भूमि काटने के पश्चात शेष 1086.62 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण नर्सरी- ऑर्चाड से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प हेतु) किए जाने बाबत।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
25.	94.25 पृ. 105 से 108	जविप्रा की विद्याधर नगर योजना में आवेदक जॉय सिडिकेट एण्ड इन्क्लेव प्रा. लि. के आवासीय भू. सं. आर-5 बी क्षेत्रफल 1267 व. मी. का भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल बिजनेस) किए जाने हेतु।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
			निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुन: प्रस्तुत किया जावे।		
26.	94.26 पृ. 109 से 112	जविप्रा की विद्याधर नगर योजना में आवेदक जॉय सिडिकेट एण्ड इन्क्लेव प्रा. लि. के आवासीय भू. सं. आर-5 ए क्षेत्रफल 1267 व. मी. का भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल बिजनेस) किए जाने हेतु।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुन: प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
27.	94.27 पृ. 113 से 115	जविप्रा की विद्याधर नगर योजना में आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार मोदी एवं श्री नारायण लाल के आवासीय भू.सं. आर-4 बी क्षेत्रफल 1285 व.मी. का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एण्ड जनरल बिज़नेस) किए जाने हेतु।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में भू-उपयोग उपांतरण के सम्बन्ध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय चाही गई है जो अभी अपेक्षित है। विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय प्राप्त होने के पश्चात ही परीक्षण कर पुन: प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
28.	94.28 पृ. 116 से 154	महावीर उद्यान के दक्षिण छोर से जवाहर सर्किल तक जवाहरलाल नेहरू मार्ग के निर्धारित मार्गाधिकार क्षेत्र के पश्चात सड़क के दोनों ओर (पूर्व एवं पश्चिम	उक्त एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा इस सन्दर्भ में प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव रिपोर्ट पर विचार-विमर्श पश्चात महावीर उद्यान के दक्षिण छोर से जवाहर सर्किल तक जवाहरलाल नेहरू	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	मुख्य जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	अनुपालना
		दिशा में) मास्टर विकास योजना जयपुर क्षेत्र, जयपुर 2011 में दर्शित 200' की भू-पट्टी का भू-उपयोग संस्थानिक के साथ-साथ आवश्यकतानुसार व्यावसायिक भी (बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों हेतु) किए जाने बाबत।	मार्ग के निर्धारित मार्गाधिकार क्षेत्र के पश्चात सड़क के दोनों ओर (पूर्व एवं पाश्चिम दिशा में) मास्टर विकास योजना जयपुर क्षेत्र, जयपुर 2011 में दर्शित 200 फीट भू-पट्टी का भू-उपयोग संस्थानिक के साथ-साथ आवश्यकतानुसार व्यावसायिक (बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों हेतु) किए जाने की सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग उपांतरण के आदेश जारी करने से पूर्व निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से यह राय प्राप्त कर ली जावे कि भू-उपयोग परिवर्तन से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का उल्लंघन अथवा मानहानि तो नहीं होगी।		
29.	94.29 पृ. 155 से 156	श्री अनिल विश्नोई के गुलाबवाडी भवन निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना श्री गुरू जम्बेश्वर नगर (ए) के पूर्वगठित आवासीय भूखण्ड 7 व 8 923.84 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प हेतु व अन्य वाणिज्यिक उपयोग हेतु) किए जाने हेतु।	विस्तार से विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प एवं अन्य वाणिज्यिक उपयोग हेतु) भू-उपयोग उपांतरण से सम्बन्धित है, अतः इस प्रकरण में भी अन्य प्रकरणों की भांति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4783/03 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से जो राय प्राप्त की जा रही है वह राय प्राप्त होने के पश्चात राय के आधार पर परीक्षण कर उपांतरण से सम्बन्धित कार्यवाही की जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-					
30.	94.30	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 की अनुसूची संख्या-VIII क्र. सं.-5 में प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 की अनुसूची संख्या-VIII के क्र.सं.-5 तथा 7 में अन्य के साथ-साथ "हैल्पर" भी प्रतिस्थापित किए	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

क्र.स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	[illegible]त [illegible]री	अनुपालना
			जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। क्योंकि यह मामला विनियमों में संशोधन से सम्बन्धित है, अत: प्राधिकरण की बैठक में उक्त प्रकरण को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे।		
31.	94.31	लेखाकार के पद को सहायक लेखाधिकारी के पद पर अपग्रेड किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार लेखाकार के एक पद को सहायक लेखाधिकारी के पद पर अपग्रेड किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन वित्त विभाग की पदों के सृजन/क्रमोन्नयन पर रोक होने से वित्त विभाग से अनुमति हेतु प्रकरण नगरीय विकास विभाग को भिजवाया जावे।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
32.	94.32	Approval of Tender for the work "Construction of roads at Transport Nagar. Sikar road, Jaipur (Part-1)	विचार-विमर्श पश्चात ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर रोड, जयपुर (पार्ट-1) में सड़क निर्माण हेतु मैसर्स राजेन्द्र सिंह भांभू द्वारा प्रस्तावित टेण्डर राशि रूपए 5,55,89,103/- पर कार्य करवाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी	

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 94 वीं बैठक दिनांक 15.12.2004 को प्रातः 11.30 बजे समिति कक्ष में जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार थीः-

क. सं.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	डॉ. ललित के. पंवार	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री ए. के. हेमकार	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री सुधांश पंत	जिला कलक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एस. पी. पाठक	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री एस. के. पंचौली	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री एस. सी. महागांवकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री एस. के. बाकलीवाल	मुख्य अभियन्ता (ओ एण्ड एम-II)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य
8.	श्री सी. एस. बेनीवाल	उप सचिव, नगरीय विकास विभाग	नगरीय विकास विभाग, राज.सरकार, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्रीमती अपर्णा सहाय	कार्यकारी निदेशक (वित्त)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री एफ. ए. खान	सलाहकार (इन्फ्रा)	रीको, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त	जयपुर नगर निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
12.	श्री आर. के. वशिष्ठ	अति.निदेशक (भू.एवं स.निस्ता.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
13.	श्री गोविन्द सिंह चौधरी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
14.	श्री जी. आर. गुप्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
15.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़	वृत्त अधिकारी, गांधीनगर	पुलिस मुख्यालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
16.	श्री डी. आर. मीणा	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री वी. एम. कपूर	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री ओ. पी. यादव	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री टी. एस. अरोड़ा	उप नगर नियोजक	रीको, जयपुर	
20.	श्री आर. एस. किशनानी	अधीक्षण अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	

69

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प-2(72 04)/जविप्रा/समन्वय/2004/ दिनांकः

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान,
2.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
4.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
5.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
6.	जिला कलैक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
8.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
9.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11.	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
15.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
16.	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
17.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम /प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	जन सम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

374

101

कायालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 94वीं बैठक दिनांक 15.12.2004 को प्रातः 11:30 बजे प्राधिकरण के समिति कक्ष में डॉ. ललित के. पंवार, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार थी :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	हस्ताक्षर
01.	सी. एम. बंदीवाल	Dy Secy UDH	15/12
02.	Sudhansh Pant	Collector & DM Jaipur	
03.	[illegible]	आयुक्त JNN	
04.	पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़	C.O. गांधीनगर	
05.	एम. एल. [illegible]	Advisor (Infra) RIICO	
06.	अपर्णा सहाय	E.D (Finance) RTDC	15/12
07.	Govind Singh Choudhary	ACE PWD HQ Jaipur	
08.	G. R. Gupta	ACE. PHED.	
09.	T. S. Arora	DTP RIICO	
10.	R.S. Kishnani	SE PHED	
11.	V. M. KAPOOR	AC (E)	
12.	O.P. YADAV	AC (W)	
13.	D. R. Meena	AC (Adm)	

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

375

107

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	हस्ताक्षर
14.	R. K. Vashishth	Director Finan	[signature]
15.	S. K. Bakliwal	C.E. (O & M-II) JVVNL	[signature]
16.	S. K. Pancholi	Dir (Engg) JDA	[signature]
17.	S. C. Mahagaonkar	Dir (TP) JDA	[signature]
18.	[illegible]	Dir (Law)	[signature] 13/12
19.	A. K. Hemkar	Secy.	[signature]
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			